



Neutral Citation No. -2026:AHC:53561

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 के तहत आपराधिक विविध अग्रिम ज़मानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या - 2503 / 2026

श्रीनारायण शुक्ला

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

:

शिवाकांत

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्याय कक्ष संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवाकांत और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मोर्य की दलीलें सुनीं और पत्रावली का अवलोकन किया।

2. यह आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 260/2012 में अग्रिम ज़मानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 204, 120-बी और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत, पुलिस थाना घाटमपुर, ज़िला कानपुर नगर में दर्ज है। इस आवेदन में यह प्रार्थना की गई है कि यदि अपीलार्थी को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग के निरीक्षक द्वारा एक स्थानीय विधायक की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी और मामला बंद कर दिया गया था, लेकिन 13 साल बाद, जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से उसी मामले को फिर से खोल दिया गया। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, अपीलार्थी जो एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान का मालिक है पर यह आरोप है कि उसने लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुएँ, जैसे कि मिट्टी का तेल, उनके निर्धारित कोटे से काफी कम मात्रा में वितरित कीं। यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदन किया गया कि अपीलार्थी विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है, और जब भी जाँच संस्था या न्यायालय द्वारा उसे बुलाया जाएगा, वह उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि अपीलार्थी को अग्रिम ज़मानत दी जाती है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, जाँच में सहयोग करेगा, और ज़मानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम ज़मानत के आवेदन का विरोध किया है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग के निरीक्षक द्वारा एक स्थानीय विधायक की शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी; इस मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी और मुकदमा बंद कर दिया गया था, लेकिन 13 साल बाद, ज़िला मजिस्ट्रेट की अनुमति से उसी मुकदमा को फिर से खोल दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, अपीलार्थी जो एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान का मालिक है पर यह आरोप है कि उसने लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुएँ जैसे, मिट्टी का तेल उनके निर्धारित कोटे से काफ़ी कम मात्रा में वितरित कीं। यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. यह कहा जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अग्रिम ज़मानत पर फैसला करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त का पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए साथ ही, न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. प्रस्तुत मामले में, अग्रिम ज़मानत से संबंधित विधि के स्थापित सिद्धांतों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, अपीलार्थी की भूमिका तथा मामले के समस्त संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना अग्रिम ज़मानत का एक मामला बनता है।

8. अग्रिम ज़मानत का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. यदि उपर्युक्त दांडिक मुकदमे में संलिप्त अपीलार्थी- श्री नारायण शुक्ला को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा :-

(i) अपीलार्थी सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय उसे छूट न दे दे;

(ii) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे/उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके;

(iii) अपीलार्थी विचारण के दौरान सहयोग करेगा और ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) अपीलार्थी संबंधित न्यायालय की पहले से अनुमति लिए बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगा।

10. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को अपीलार्थी को दी गई अग्रिम ज़मानत रद्द करवाने के लिए उचित आवेदन दायर करने की पूरी आज्ञादी होगी।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

मार्च 17, 2026

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आरकेम

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"